100

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्र•सी-3/22/84/3/1 भोपाल, दिनांक 2 जुलाई, 1984

प्रति,

शासन के समस्त विभाग

विषय:-. वैयक्तिक मामलों में सेवा शर्तों आदि में छूट हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति ।

===

इस विभाग के परिपत्र क्र• 993/192/1/3/63 दिनांक 17 मई, 1963 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वैधानिक दृष्टि से किसी व्यक्ति विशेष के प्रकरण में किन्ही सेवा शर्तों में छूट /शिथिलीकरण की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये । यदि किन्ही प्रशासकीय आवश्यकताओं के कारण सेवा शर्तों आदि में शिथिलीकरण आवश्यक हो तो उन सेवा शर्तों, नियमों आदि को सामान्य रूप से शिथिल /संशोधित किया जाना चाहिये ।

2/ ऐसा देखने में आरहा है कि कई विभाग व्यक्ति विशेष के प्रकरणों में सेवाशर्तों आदि में छूट देने के लिये सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति के लिये प्रकरण भेजते रहते है । इसके संदर्भ में यह स्पष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है कि किन्ही नियमों में छूट देने के अधिकार इस विभाग को नहीं है । इसके लिये केवल मंत्रिपरिषद सक्षम है । यदि किन्हीं वैयक्तिक मामलों में सेवा शर्तों आदि में छूट देना नितांत आवश्यक हो तो प्रशासकीय विभाग ऐसे प्रकरण इस विभाग को न भेजते हुये उस पर मंत्रिपरिषद आदेश प्राप्त करने की कार्यवाही करें ।

3/ कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

(वी०जी० निगम)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

शर्मा/2784